राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उचित दर दुकानों पर निर्गम मूल्य

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गर०ने०नी० गेहूं	चावल	गर०ने०ऊ० गेहूं	चावल ग्रेड ए
20.	पंजाब	2.58	3.61	4.58	7.25
21.	राजस्थान	3.00	4.00	7.00	9.70
22.	सिक्किम	3.00	4.00	उ० नहीं	उ०न०
23.	तमिलनाडु*	—@ 2.00 और 3.75		5.00	उ०न०
24.	त्रिपुरा	3.00	4.00	7.25	7.70 और 10.00**
25.	उत्तर प्रदेश	3.00	4.00	7.00	9.55
26.	प० बंगाल	3.00	4.00	6.25	8.55
27.	अं० निकोबार द्वीप समूह	3.00	4.00	5.10	7.80
28.	चंडीगढ़	2.78	3.77	4.87	उ०न०
29.	दादरा व नगर हवेली	3.00	4.00	5.00	7.50
30.	दमन व दिव	3.00	4.00	7.60	10.35
31.	लक्षद्वीप	3.00	4.00	7.00	9.55
32.	पांडिचेरी	—	4.00	5.00	उ०न० (साधारण)

ल०सा०वि०प्र० दिल्ली और लक्षद्वीप में शुरू नहीं की गई है।
उ०न०: उपलब्ध नहीं (राज्य सरकार द्वारा सूचित किए जाने हैं)
*: राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त सब्सिडि वहन की जाएगी,
: क्षेत्र-दर-क्षेत्र में भिन्न होते हैं
$: पूर्व-की संसा०वि०प्र० के ब्लाकों में 2.00 रुपये और अन्य क्षेत्रों में 4.00 रुपये
@: चावल साधारण-2.00 रुपये, चावल बढ़िया-3.75 रुपये
**: चावल साधारण-7.70 रु०, चावल बढ़िया-10.00 रुपयें

Impact on Subsidy Bill of Hike in PDS

506. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether despite the sharp hike in PDS prices of rice, wheat, sugar and urea it would have little impact on the subsidy bill of both foodgrains and urea this year;

(b) if so, the fact and details in this regard; and

(c) the steps teken by Government to remove subsidy on foodgrains without affecting common man?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYA PAL SINGH YADAV): (a) and (b) The Central Issue Prices (CIP) of wheat and rice have been increased for APL families only w.e.f 29.1.1999 from Rs. 450/- to Rs. 650/- per qtl. for wheat and Rs. 700/- to Rs. 905/- per qtl. for Grade 'A' rice. The CIP of common rice for APL families applicable only to J&K, Himachal Pradesh and hilly areas of N.E. States including Sikkim and Uttar Pradesh has been raised from Rs. 550/- to Rs. 700/- per qt.

The Retail Issue Price of sugar under PDS has been increased from Rs. 11.40 to Rs. 12.00 per Kg. w.e.f. 15.2.1999.

The subsidy outgo on foodgrains would reduce by about Rs. 300 crores during the current financial your and by about Rs. 2200 crores during the financial year 1999-2000. The savings in sugar subsidy would be Rs. 34.8 crores in 1998-99. and Rs. 278 crores in 1999-2000.

The price of urea has been increased from Rs. 3660 per MT to Rs. 4000 per MT from 29.1.1999. The increase in the price of urea is likely to reduce the urea subsidy by Rs. 340 for each MT of urea sold after 29.1.1999.

(c) The CIPs of wheat and rice have been revised w.e.f 29.1.1999 for APL families only to contain the food subsidy budget to a manageable level. Since the CIP for BPL families have been reverted to the earlier prices existing prior to 29.1.1999, it will not affect the weaker sections of the society.

It is not possible to entirely remove the subsidy on foodgrains issued under Targetted P.D.S., specially in view of supplying wheat and rice to BPL families at highly subsidised fates.

हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा दिया गया पामोलीन का ठेका

507. **श्री रामजीलाल:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जनवरी, 1999 के "राष्ट्रीय सहारा" के "पामोलीन का ठेका बिना निविदा निकाले दागी कम्पनी को" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन द्वारा ऐसी कम्पनी को ठेका दिए जाने के क्या कारण थे और यह ठेका किसके निर्देश पर और किस दर पर दिया गया था;

(ग) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान वजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिए सरकार की ओर से दिल्ली में पामोलीन की पैकिंग करती है। दिल्ली में हाल में खाद्य तेल की कमी के कारण, उपभोक्ता पैकटों में आपूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के अनुरोध पर हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने प्राइवेट पैकिंगकर्ताओं के साथ करार किया था। दिल्ली सरकार जिसकी ओर से तेल की पैकिंग की जा रही है, द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में यह करार किया गया था। चूंकि हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड की क्षमता सीमित थी, इसलिए उनसे प्राइवेट पैकिंगकर्ताओं के साथ प्रबंधों में तेजी लाने के लिए कहा गया था। दिल्ली सरकार के अनुरोध पर प्रशनगत कम्पनी अर्थात् सूरज वनस्पति लिमिटेड ने हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑल्स कारपोरेशन लिमिटेड के साथ करार किया था। करार के अधीन पैकिंग की दर एक लिटर के पाउच के लिए 5.68 रुपये और 5 लिटर के जार के लिए 39.03 रुपये थी। तथापि, इस करार को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका।

(ग) और (घ) चूंकि यह व्यवस्था दिल्ली सरकार जिसकी ओर से तेल की पैकिंग की जा रही है द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसरण में की गई थी, इसलिए स्वयंमेव ऐसा करार करने के लिए किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

Allocation for Alternative System of Medicines

508. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) what allocation was made during the last plan for the alternative systems of medicine as compared to Allopathy; and

(b) what steps Government are taking to increase India's share in the world trade of herbal medicines?